न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/01/2018

1. भंवरी देवी पुत्री पोखरमल पत्नि रावतमल
2. परमेश्वरी देवी पुत्री पोखरमल पत्नि मोहनलाल
3. रामकोरी देवी पुत्री पोखरमल पत्नि रतनलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादीनीगण

बनाम

1. केदारमल पुत्र पोखरमल
2. महावीर प्रसाद पुत्र पोखरमल
3. शिवपाल पुत्र पन्नाराम
4. हरीश पुत्र पन्नाराम
5. कानी देवी पत्नि पन्नाराम

   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6. पटवारी हल्का, मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
7. नायब तहसीलदार, नेछवा उपतहसील नेछवा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
9. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:निर्णयः– **दिनांक–25.05.2018**

वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि वादीनीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त पैतृक, कब्जे, काश्त की कृषि भूमियां नया खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है।

यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की पैतृक शामलाती कब्जे, काश्त की कृषि भूमियां है।

यह कि खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है में वादीनीगण का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि का 1/2 में से प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है एवम् प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा उपरोक्त कृषि भूमियां वादीनीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमियां है जिसमें से सम्पूर्ण भूमि का 1/2 हिस्से में से प्रत्येक को 1/5 हक हिस्से में वादीनीगण का कब्जा, काश्त है, वादीनीगण अपने पिता के जीवनकाल में भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज, काश्त चली आ रही है, वादीनीगण संख्या 1 ता 2 ने दिनांक 09.12.2004 को राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से साज करके प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व माता के नाम से नामांतरकरण अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जबकि कानूनन रुप से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व माता को कोई हक, अधिकार नहीं है। कृषि

Web Copy - Not Official

भूमियां वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमियां है इसलिये वादीनीगण का सम्पूर्ण भूमि का 1/2 हिस्से में से प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा देने के कारण नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 09.12.2004 को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुए वादीनीगण को सम्पूर्ण भूमि के 1/2 हिस्से में से प्रत्येक को 1/5 हक हिस्से की खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की माता की मृत्यु दिनांक 3.10.2017 को हुई थी जिसका नामातरकरण संख्या 13 दिनांक 15.12.2015 को तस्दीक किया गया नामांतरकरण सजरा खानदान के आधार पर भरा गया जो कि सही एवं सत्य है।

यह कि खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर, वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है के उक्त विरासत के गलत नामांतरकरण की जानकारी वादीनीगण को दिनांक 07.12.2017 को उक्त कृषि भूमियों की जमाबंदी की नकल लेने पर प्राप्त हुई वादीनीगण ने उक्त खाता दुरुस्त करवाने के लिये दिनांक 10.12.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने खाता दुरुस्त करवाने से इंकार कर दिया इसलिये दिनांक 10.12.2017 को वाद कारण पैदा होकर उपरोक्त उनवानी दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

यह कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित होने से वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। यह कि उक्त प्रकारण में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 व 9 सरकारी अधिकारी व कर्मचारी है जिनके खिलाफ वाद प्रस्तुति से पूर्व दो माह की अवधि का विधिक नोटिस दिया जाना प्रावधानित है नोटिस से उनमुक्ति हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा. दी. का प्रस्तुत कर अनुमति ले ली गयी है। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 सहखातेदार, काश्तकार होने के कारण वाद में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादीनीगण / प्रार्थीनीगण इस्तदुआ करती है– (क) कि वादी वादीनीगण प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है में वादीनीगण को सम्पूर्ण भूमि 1/2 हिस्से में से प्रत्येक को 1/5 हक हिस्से की काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें एवं नामांतरकरण संख्या 425 दिनांकित 09.12.2004 निरस्त फरमाया जावें। (ख) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीनीगण प्राप्त करने की हकदारी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प रूल्याणा माली में पेश हुई। कैम्प के लिए जारी तामील कुनिंदा रिपोर्ट के मुताबिक सभी प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। बावजूद इत्तिला अनुपस्थित। अतः उक्त सभी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। केम्प स्थल पर पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें कार्यालय ग्राम पंचायत, मीरण द्वारा प्रस्तुत स्व. पोखरमल का वारिस प्रमाण–पत्र में स्व. पोखरमल के कुल पांच वारिसान बताये है। उक्त की पूछताछ कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी की गई। अतः उक्तानुसार वादीनीगण द्वारा चाहा अनुतोष की मांग सबल होना जाहिर होता है। उक्तानुसार सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादीनीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः वादीनीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजियात खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा

Web Copy Not Official

नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है, में वर्तमान खाता में केदारमल, महावीर पुत्रगण पोखरमल के 1/2 हिस्से तक को निरस्त किया जाकर उक्त 1/2 हिस्से में वादीनीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही नामांतरकरण संख्या 425 दिनांकित 09.12.2004 को केदारमल, महावीर पुत्रगण पोखरमल, सुरजी बेवा पोखरमल हि. 1/2 की हद तक निरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। कार्यालय ग्राम पंचायत, मीरण द्वारा प्रस्तुत स्व. पोखरमल का वारिस प्रमाण–पत्र निर्णय–डिक्री का भाग रहेगा। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट रूल्याणा माली में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणा माली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

भंवरी देवी आदि   बनाम   केदारमल आदि

दावा बाबत उद्‌घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 01/2018   **निर्णय दिनांक– 25.05.2018**

वादी............ व प्रतिवादीगण........... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीनीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजियात खसरा नम्बर 172 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 4.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 7.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 15.92 हैक्टेयर वाके ग्राम घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है, में वर्तमान खाता में केदारमल, महावीर पुत्रगण पोखरमल के 1/2 हिस्से तक को निरस्त किया जाकर उक्त 1/2 हिस्से में वादीनीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्‌घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही नामांतरकरण संख्या 425 दिनांकित 09.12.2004 को केदारमल, महावीर पुत्रगण पोखरमल, सुरजी बेवा पोखरमल हि. 1/2 की हद तक निरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। कार्यालय ग्राम पंचायत, मीरण द्वारा प्रस्तुत स्व. पोखरमल का वारिस प्रमाण–पत्र निर्णय–डिक्री का भाग रहेगा। रहन यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 25.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणा माली

मुहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणा माली